जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 05.09.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.09.2024 को वादी श्री आरिफ अंसारी पुत्र मौहम्मद नसीम निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने अज्ञात चोर के विरुद्ध मकान से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थीं। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कामिल पुत्र नसीम निवासी ग्राम खेडीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ सामान (05 जोडी झुमके पीली धातू, 01 जोडी बडे झाले पीली धातू, 01 माथे का टीका पीली धातू, 03 जोडी बिछुए सफेद धातू , 02 जोडी अँगूठी पीली धातू, 01 जोडी झुमके सफेद धातू , 07 जोडे कान के छोटी बाली पीली धातू, एक कान का झुमका पीली धातू, 01 अंगूठी सफेद धातू, 20 रुपये नकद व 01 अदद आधार कार्ड)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 योगेन्द्र थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.है0का0 नवाब थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद, 200 लीटर लहन नष्ट किया गया।</u>

आज दिनांक 05.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण/बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अवैध रुप से चलाई जा रही शराब की भट्टी पर छापेमारी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए है एवं 200 लीटर लहन नष्ट किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.सीताराम पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध कच्ची शराब 20 लीटर।
2.कच्ची शराब बनाने के उपकरण।
3.नष्ट किया गया 200 लीटर लहन।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.हे0का0 संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.हे0का0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 05.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.चाँद पुत्र यासीन निवासी ग्राम नंदपुरा महादेव थाना जानी जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

4.है0का0 हरवेन्द्र सिह थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 09 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा एवं 24,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 1993 में अभियुक्त सोनू उर्फ राजा पुत्र राज हरिजन निवासी गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 39/1993 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास, 1,500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2002 में अभियुक्त 1.जगपाल पुत्र जयप्रकाश निवासी बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 38/2002 धारा 161 रेलवे एक्ट व धारा 427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 161 रेलवे एक्ट में न्यायालय बैठने की अवधि की सजा व धारा 427 भादवि में 500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 1998 में अभियुक्त 1.मशरुफा व 2.इरशाद पुत्रगण अरशद निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 27/126/98 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1,000-1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2014 में अभियुक्त 1.फुरकान पुत्र शब्बीर 2.शौकीन, 3.सोनू व 4.पप्पू पुत्रगण इस्लाम समस्त निवासीगण मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 40/2014 धारा 323/325/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500-2,500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2012 में अभियुक्त 1.मुनव्वर पुत्र नसीम निवासी गंदराऊ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 355/2012 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगण</u>

1.सोनू उर्फ राजा पुत्र राज हरिजन निवासी गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।
2.जगपाल पुत्र जयप्रकाश निवासी बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
3.मशरुफा पुत्र अरशद निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.इरशाद पुत्र अरशद निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.फुरकान पुत्र शब्बीर निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली।
6.शौकीन पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली।
7.सोनू पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली।
8.पप्पू पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली।
9.मुनव्वर पुत्र नसीम निवासी गंदराऊ थाना कैराना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>